

प्रेषक,

अनिल कुमार

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, 50प्र0, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरप्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात लखनऊ:दिनांक 25 अगस्त, 2017

प्रोत्साहन अनुभाग-2

विषय:- जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदेश के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं आदि में सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित गर्वनमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल को अंगीकर करते हुए इस पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस पोर्टल के उपयोग हेतु सभी विभागों/संस्थाओं द्वारा प्राइमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर (बायर/कन्साइनी/डी0डी0ओ0) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारियों को पदनाम से प्राधिकृत करना आवश्यक होगा। उक्त जेमपोर्टल gem.gov.in के मुख पृष्ठ पर ट्रेनिंग लिंक पर जाकर बिन्दु-2 पर जाकर ट्रेनिंग मटेरियल लिंक पर क्रय करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन दिशा-निर्देशों को डाउनलोड कर इसके अनुरूप अपने विभाग में शासकीय उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण कराने का कष्ट करें।

3- सुगमता के लिए पुनः संक्षेप में पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है:-

(i)समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों, संस्थानों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रमुख तथा उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्राइमरी यूजर बनाये जाने के आदेश निर्गत किये जाने होंगे। सुविधा हेतु मॉडल आदेश की प्रति संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(ii) तत्पश्चात् प्राइमरी यूजर द्वारा पोर्टल gem.gov.in पर sign up link पर जाकर स्वयं का पंजीकरण कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(iii) प्राइमरी यूजर द्वारा डिपार्टमेंट के फील्ड में अपने प्रशासकीय विभाग का नाम भरा जाएगा। यदि प्रशासकीय विभाग का नाम उपलब्ध नहीं है तो जेम पोर्टल पर सपोर्ट डेस्क को अवगत कराया जाए तथा उसकी एक प्रति इस विभाग को प्रेषित की जाएगी। तत्पश्चात ऑर्गेनाइजेशन के नाम में अपने विभाग अथवा संस्थान का नाम भरा जाएगा।

(iv) प्राइमरी यूजर के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्न सूचना की आवश्यकता होगी:

- a. आधार नम्बर
- b. आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
- c. सरकारी ई-मेल आई.डी. (nic.in/ gov.in) डोमेन पर (यह आई0डी0 यथा सम्भव पद नाम से होना श्रेयस्कर है)।

(v) एकरूपता के लिए विभागाध्यक्ष/ संस्था प्रमुख द्वारा उक्त मेलआई0डी0 का अकाउंटनेम//यूजरनेम (@ सेपूर्वकाभाग) यूजर आई0डी0 के रूप में रखा जाए।

(vi) शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउण्ट को व्यवहृत नहीं किया जाता है, अतः बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाएं। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए।

(vii) जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मेथड में शासकीय विभागों द्वारा Others तथा पुनः नीचे के कॉलम में Others को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाए।

(viii) प्राइमरी यूजर्स के सत्यापन का कार्य सत्यापन (Verifying) अधिकारी विभाग के अधिकारी के रूप में प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा किया जाएगा।

(viii) इस प्रकार प्राइमरी यूजर्स के पंजीकरण के उपरांत उनके द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/अधिकारियों (जहाँ भी सामग्री/ सेवा के क्रय एवं भुगतान की कार्यवाही निष्पादित की जाती है) को सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में क्रेता (बायर), आपूर्ति प्राप्तकर्ता (कंसाइनी) अथवा भुगतानकर्ता की भूमिका में पंजीकृत किया जाएगा।

(ix) प्राइमरी यूजर्स द्वारा सेकेण्डरी यूजर्स के पंजीकरण हेतु उनके ई-मेल (सरकारी) तथा मोबाइल नंबर (आधार पंजीकृत) की जानकारी होना आवश्यक है।

(x) यहां सेकेण्डरी यूजर्स के लिए भी एकरूपता के लिए ई-मेल के यूजर नेम/ अकाउंटनेम (@ से पूर्व के अंश को user id बनाया जा सकता है।

4- उपरोक्तवत् विभाग के अधिकारियों के प्राइमरी यूजर्स एवं सेकेण्डरी यूजर्स के पंजीकरण के उपरांत विभाग द्वारा जेम पोर्टल से क्रय की कार्यवाही की जा सकती है। सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं को प्राप्त करने से पूर्व सक्षम स्तर से क्रय का आवश्यक अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाएगा तथा धनराशि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- जब तक प्रदेश में कोषागार व्यवस्था के जेम पोर्टल से इंटीग्रेशन की व्यवस्था की जा रही है, विभाग द्वारा पंजीकरण कराते हुए भुगतान मेथड के बिन्दु-3 पर अंकित Others को चयनित किया जाए। साथ ही सभी उपयोगकर्ताओं से यह भी अपेक्षित है कि जेम की शर्तों के अनुसार आपूर्ति के 48 घंटे के भीतर Provisional Receipt Certificate (PRC), आपूर्ति के दिनांक से 10 दिन के अन्दर संतोषजनक आपूर्ति के प्रमाण-पत्र Consignee's Receipt and Acceptance Certificate (CRAC) तथा उसके पश्चात् निर्धारित 10 दिन की समयावधि में भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अनिल कुमार )

प्रमुख सचिव।

**संख्या-** 12/2017/540(1)/18-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरप्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( रूद्र प्रताप सिंह )

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन,  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2,  
संख्या- 13/2017/541 /18-2-2017-97(ल030)/2016  
लखनऊ:: दिनांक 25 अगस्त, 2017

### कार्यालय-आदेश

भारत सरकार द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) विकसित किया गया है, जो gem.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टलको उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरीयूजर्स) के रूप में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित भूमिका (Role) हेतु अधिकृत किया जाता है:

Sr. No.	Role	Designation	Name of Organization
1.	Primary User	आयुक्त एवं निदेशक	उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
	Primary User	आयुक्त	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
	Primary User	निदेशक	उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान लखनऊ।
	Primary User	प्रबन्धनिदेशक	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर।
	Primary User	प्रबन्धनिदेशक	30प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम, लखनऊ।
	Primary User	निदेशक	उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।
2.	Verifying Officer	प्रमुख सचिव Email: <a href="mailto:psec.msme-up@gov.in">psec.msme-up@gov.in</a>	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

- उपरोक्त प्राइमरी यूजर GeM (<http://gem.gov.in/auth/register>) पर पंजीकरण करा लेंगे।
- यदि एक अधिकारी उपरोक्त वत्दोया अधिक संस्थाओं में प्राइमरी यूजर हैं, तो एक को छोड़कर शेष संस्थानों में वे अपने अधीन स्थवरिष्ठतम अधिकारी को उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइमरी यूजर नामित करेंगे।
- प्राइमरी यूजर्स के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी:-
  - आधार नम्बर
  - आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
  - सरकारी ई-मेल आईडी ( nic.in/ gov.in domain पर)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. एक रूपता के लिए विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख द्वारा उक्तमेल आई0डी0 का अकाउंट नेम/ यूजरनेम (@ सेपूर्वकाभाग) यूजर आई0डी0 के रूप में रखा जाए।
6. शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउण्ट को व्यवहृत नहीं किया जाता है, अतः बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाएं। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए।
7. जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मेंथड में शासकीय विभागों द्वारा Others तथा पुनः नीचे के कॉलम में Others को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाए।
8. प्राइमरी यूजर्स की जिम्मेदारी होगी किस भी सेकेण्डरी यूजर्स जेमपोर्टल के परिचालन से परिचित होकर सही ढंग से इसका उपयोग कर सके।
9. सभी उपयोग कर्ता जेमपोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेमपोर्टल का उपयोग करें।

(अनिलकुमार)  
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश, डिजाइन संस्थान, लखनऊ।
5. प्रबंधक, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर।
6. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन निगम लि0, लखनऊ।
7. निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)  
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## प्रारूप

भारत सरकार द्वारा ई.प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस, (GeM) विकसित किया गया है, जो gem.gov.in पर उपलब्ध है। राज्यसरकार द्वारा इस पोर्टलको शासनादेशसंख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टल का उपयोग हेतु उपयोगकर्ता (यूजर्स) के रूप में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित (Role) हेतु अधिकृत किया जाता है :-

Sr. No.	Role	Designation
1.	Secondary User**	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buyer(S)</li> </ul>	i) ii) .....
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consigness(S)</li> </ul>	i) ii) .....
	<ul style="list-style-type: none"> <li>DDO(S)</li> </ul>	i) ii) .....

2. उपरोक्त सेकण्डरी यूजर GeM (<http://gem.gov.in/auth/register>) पर पंजीकरण करा लेंगे। प्राइमरी यूजर द्वारा इन्हे सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में विभिन्न Roles में पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

3. जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी:

- आधार नम्बर
- आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
- सरकारी ई-मेल आईडी0 (nic.in/ gov.in) domain

5.सभी उपयोग कर्ता जेम पोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेम पोर्टल का उपयोग करें।

भवदीय,

विभागाध्यक्ष पदनाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।